न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमंद

(राकेश कुमार आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

अपील संख्या :— 45 / 2019
दायर दिनांक :— 25 / 07 / 2019
निर्णय दिनांक :— 27 / 09 / 2019

अनवान

श्री लोकेश नारवानी पिता श्री महादेव जी नारवानी आयु 40 वर्ष निवासी कामलीघाट तहसील देवगढ जिला राजसमंद

—अपीलांट

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ, जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार देवगढ प्रकरण संख्या 44 सन् 2019 (446 / 2019) ना. क. सरकार बनाम लोकेश कुमार निर्णय दिनांक 23.01.2019 बाबत् — राजस्व ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या 239 रकबा 0.02 बिस्वा भुमि से प्रार्थी को बेदखल करने बाबत्।

उपस्थित :—

1—श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता अपीलान्ट
2—श्री कैलाश बोल्या राजकीय अधिवक्ता

—:: निर्णय ::—

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है । अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या 239 रकबा 1.09 बीघा भुमि किस्म बिलानाम स्थित है जिसमें से 0.02 बिस्वा भूमि पर पर अतिक्रमण कर लिये जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया है । पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राज0 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर विवादित भूमि से अतिक्रिमी को बेदखल करने एवं भूमि पर अतिक्रिमी मानते हुये लगान का 50 गुणा शास्ति रूपये 50 / — आरोपित करने के दण्ड से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 23.01.2019 को पारित किया । अधिनस्थ न्यायालय के इस निर्णय से असंतुष्ठ होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की है । प्रस्तुत अपील के साथ धारा 5 अवधि अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया है । धारा 5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि अपीलांट को उक्त आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत हैं । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त अवधि को कन्डोन फरमाया जाकर अपील की अवधि में शुमार किये जाने का आदेश प्रदान फरमाया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की मियाद के बिन्दू पर बहस सुनी । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण एवं प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण सन्तोषप्रद प्रतीत होने से विलम्ब अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील को अवधि में शुमार किया जाता है ।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया है कि अपीलांट के राजस्व ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या 239 रकबा 1.09 बीघा एक बीघा 9 बिस्वा भूमि किस्म बिलानाम स्थित है जिसमें से 0.02 दो बिस्वा भूमि पर प्रार्थी का तथा उसके पिता का पिछले 30 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है । प्रार्थी व उसके पिता इस भुमि पर निर्माण कर वर्षो से आबाद किया है तथा दो कमरे निर्मित किये है जिसमें अपने टायर ट्यूब रखे एवं रिपयरिंग किये जाते हैं लेकिन प्रार्थी का नियमित कब्जा होते हुए भी उक्त भूमि प्रार्थी के नाम पर नियमन करने का आदेश जारी नहीं किया जाकर बेदखली का जो आदेश पारित किया है उसके विरूद्ध यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं विधि के विपरित होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विबलानाम दर्ज है जिस पर प्रार्थी व उसके पिता का 30 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है लेकिन प्रार्थी के विरूद्ध धारा 91 की कार्यवाही करते हुऐ बेदखली का आदेश पारित कर दिया जाता है। प्रार्थी व उसके पिता का इस भूमि पर पिछले 30 वर्षो से निरन्तर निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है तथा यह कब्जा राजस्व रेकार्ड में दर्ज होता चला आ रहा है तथा पक्का निर्माण किया हुआ है एवं उस पर विद्युत संबंध भी प्राप्त कर रखा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी उक्त भूमि अपने नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन कराने का अधिकारी है। प्रार्थी इस भुमि को अपने नाम पर नियमन कराने का अधिकारी है। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को अपने पक्ष रखने का अवसर ही नहीं दिया है। नोटिस जारी करने पर अपीलार्थी उपस्थित हुआ तो उसे अपना पक्ष रखने का कोई अवसर ही नहीं दिया और प्रकरण में अपने मनमकसूद तरीके से निर्णय पारित कर दिया है। अपीलार्थी का प्रकरण ही अधिनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से निर्णित किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली संख्या 446/2019 के रूप में दर्ज की है जबकि निर्णय में पत्रावली संख्या 44/2019 अंकित कर दी है तथा अधिनस्थ न्यायालय ने साईक्लोस्टाईल परफोरमा में उक्त निर्णय पारित किया है जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। अधिनस्थ न्यायालय ने केवल प्रकरण का निस्तारण कर औपचारिकता की है। उक्त आदेश में किसी प्रकार से न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में यदि अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता तो अपीलार्थी द्वारा सारी वस्तुस्थिति अधिनस्थ न्यायालय ने मनन विचार भी नहीं किया और आलौच्य आदेश पारित कर दिया है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 01.01.2019 को हुई है जिस पर राजस्व निरीक्षक ने दिनांक 07.01.2018 को पर्चा मौका बनाया गया है इससे ही प्रमाणित है कि सारी कार्यवाही अपीलार्थी को उक्त भूमि से अवैद्य रूप से बेदखल करने के उद्येश्य से पूरानी तारीख को दर्ज किया इसका भी कोई उल्लेख नहीं है। केवल निर्णय की तारीख अकिंत की गई जिसमें भी कांट छांट है और किसी के इनिशियल भी नहीं है। प्रार्थी का व उसके पिता का 30 वर्षो से नियमित कब्जा आधिपत्य चला आ रहा है और उसे कभी भी वैध रूप से बेदखल नहीं किया है, कब्जा प्रतिवर्ष दर्ज होता चला आ रहा है। धारा 91 की कार्यवाही के जरियै नियमित कब्जेधारी को बेदखल नहीं किया जा सकता है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम पदमावती के मामले में यह सिद्धान्त

प्रतिपादित कर रखा है। राज्य सरकार द्वारा भी बिलानाम भूमि पर नियमन करने परिपत्र क्रमांक प–6(7)राज–4/77/2 दिनांक 11.01.2008 में सिवाय चक भूमियों पर दिनांक 15.07.1994 तक कृषि हेतू किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने की जारी निर्देशों में नियमन की तारीख 15.07.1994 से बढाकर दिनांक 01.01.2000 तक कर दिया है इसके उपरान्त वर्ष 2018 में उक्त अवधि बढाकर 2000 से 2018 कर दी गई है। प्रशासन गॉवों के संग अभियान में राज्य सरकार द्वारा इस अवधि की वृद्धि की जा चुकी है। प्रार्थी का सम्वत 2035 से अर्थात सन् 1974 से पूर्व का कब्जा चला आ रहा है इसलिए प्रार्थी का मामला नियमन योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का कोई अवसर ही नहीं दिया है। केवल अपीलार्थी को विपक्षी द्वारा उपस्थिति दर्शाते हुऐ आलौच्य आदेश पारित किया है उसे अपना पक्ष रखने का व गवाह सबूत पेश करने का कोई अवसर ही नहीं दिया गया है ऐसी स्थिति में उक्त पारित किया गया आदेश न केवल विधि के विपरित हे बल्कि प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि राजस्व ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या 239 रकबा 1.09 बीघा भुमि किस्म बिलानाम स्थित है । जिसमें से 0.02 बिस्वा भूमि पर पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है। धारा 91 की कार्यवाही कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध बेदखली के आदेश पारित किया गया वह सही है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पर्याप्त सुनवाई एवं दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व जो निर्णय व कार्यवाही की गई हैं, वह उचित प्रतीत होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी सारी कार्यवाही विधिसम्मत है और अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जावें । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि अपीलांट द्वारा राजस्व ग्राम विजयपुरा पटवार हल्का कामली तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में स्थित खसरा संख्या 239 रकबा 1.09 (एक बीघा नौ बिस्वा) भूमि मेंसे 0.02 बिस्वा किस्म बिलानाम भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अतिक्रमी के विरूद्व कि गई बेदखली की कार्यवाही एवं शास्ति 50/– रूपये आरोपित करने के आदेश से मैं सन्तुष्ट हूॅ । अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझता हूॅ। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं । प्रार्थी भूमि आंवटन हेतू पृथक से सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। अपील अपीलाण्ट खारीज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राकेश कुमार)
अति0 जिला कलक्टर
राजसमन्द